रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2891] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939
No. 2891] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ASVINA 21, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3306(अ).— और यतः केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3.12.2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12. 01.2011, और सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 .10.2011, द्वारा संशोधित किया गया था के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए**, सा.का.नि. 719 (अ), तारीख 07.03.2014 द्वारा** अधिसूचित किया था **कि** यांत्रिक वाहनों पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या **2** के बरवा अड्डा-पानागढ़ सेक्शन के 398.240 कि.मी. से 521.120 कि.मी. तक (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त खंड" संदर्भित किया गया है) के उपयोग के लिए, शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और राराविप चरण- V के अंतर्गत उक्त खंड के प्रचालन और अनुरक्षण और डिजाईन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तान्तरण (डीबीओएफटी) आधार पर 6 लेन मानकों में विकास के लिए मैसेर्स बरवा अड्डा- पानागढ़ एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आई एल एंड एफ एस, फ़ाईनेनशियल सैंटर, प्लॉट सी-22, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051, महाराष्ट्र, है को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख या 07.03.2014 की शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख, जो भी बाद में हो, से उक्त करार के अनुसार समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत किया था;

और यतः प्राधिकरण ने रियायत करार के अनुछेद 14.2 और अनुसूची-आर में नागू सीमा तक उपान्तरण करते हुए मेसर्स बरवा अड्डा एक्सप्रेसवे लिमिटेड के साथ बर्धवान जिले में बांसकोप के निकट, 507.000 (डिज़ाइन चैनेज) पर दूसरे टोल

प्लाज़ा के प्रचालन के लिए, परियोजना के पूरा होने की वर्तमान स्थिति के अनुसार, रियायतग्राही के साथ 28.08.2017 को पूरक करार किया है ।

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 और जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3.12.2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12. 01.2011, और सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 .10.2011, द्वारा संशोधित किया गया था के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, सा.का.नि. **719** (अ), तारीख **7.03.2014,** के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:

पैरा-1 (सारिणी-1 के अंतर्गत) इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे प्रत्येक शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं)का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
438.500 किमी, (डिज़ाइन चैनेज) धनबाद जिले में बेलियाड और मेहरा गाँव के पास	66.760
507.000 किमी, (डिज़ाइन चैनेज) बर्धवान जिले में बांसकोप गाँव के पास	48.000

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, निम्नलिखित शुल्क शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	10 करोड़ से अधिक लागत वाले बाइपासों की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
507.000 किमी, (डिज़ाइन चैनेज) बर्धवान जिले में बांसकोप गाँव के पास	8.12 किमी (पानागढ़ बाइपास) 513.00 किमी (डिज़ाइन चैनेज 513.00 किमी) से शुरू होकर 520.230 किमी (डिज़ाइन चैनेज 521.120 किमी) पर मिलते हुए

[फ़ा. सं.भाराराप्रा/13013/673/सीओ/14-15/जीसी दुर्गापुर (398.240-521.120) बीओटी]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

S.O. 3306(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010,G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011 and G.S.R. 756(E) dated 12th October 2011, the Central Government, vide notification S.O. 719(E) dated 07.03.2014, notified that there shall be levied and collected fees on the mechanical vehicle for the use

of Barwa Adda - Panagarh section from Kilometre 398.240 to Kilometre 521.120 on National Highway No. 2 (hereinafter referred to as the "said section") and authorized M/s. Barwa Adda Expressway Limited having its registered office at IL&FS financial Centre, Plot C-22, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai-400051, Maharashtra, for the Operation and Maintenance of the said section and its development to six lane standards on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis under NHDP-V and to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of fee notification dated 07.03.2014 whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

And whereas the Authority has entered into a Supplementary agreement on 28.08.2017 with the Concessionaire M/s. Barwa Adda Expressway Limited for operation of the second toll plaza at km 507.000 (design chainage), near Banskopa in Burdwan District with the present status of completion of project in modification of Clause 14.2 of the Concession Agreement and Schedule-R to the extent applicable.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011 and G.S.R. 756(E) dated 12th October 2011, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. 719(E) dated 07.03.2014:-

Para 1 (under the Table-1) shall be substituted as:

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza(s) for net road length specified for such Fee Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 438.500 (design chainage), near Beliyad & Merha village in Dhanbad district	66.760
Km 507.000 (design chainage), near Banskopa in Burdwan District	48.000

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses at the following Toll Plazas:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) of bypasses costing more than 10 crores for which additional fee is payable
Km 507.000 (design chainage), near Banskopa in Burdwan District	8.12 (Panagarh Bypass) taking off at Km. 513.00 (design chainage Km. 513.00) & merging at Km. 520.230 (design chainage Km. 521.120)

[F. No. NHAI/13013/673/CO/14-15/GC Durgapur (398.240-521.120) BOT]
DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.16 13:16:34 +05'30'